अनुदान संख्या 52 – पुलिस
GRANT No. 52–POLICE

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*3,44,00*	*3,12,74*	*–31,26*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*13,80*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	14090,65,00	14638,19,00	14037,26,44	–600,92,56
पूरक	Supplementary	547,54,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				512,68,14
पूंजीगत:	**Capital:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*17,35,00*	*15,99,81*	*–1,35,19*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*1,32,00*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	2039,38,00	2039,40,00	1846,67,72	–192,72,28
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				147,72,91

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *6.00 लाख* रु. का *विनियोग* मुख्य शीर्ष "2055" - "पुलिस" के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (60092.56 लाख रु.) अगस्त, 2006, दिसंबर, 2006 और मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 54754.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.6.00 lakhs* remained wholly unutilised in two cases under Major Head "2055" - "Police".

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.60092.56 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.54754.00 lakhs obtained in August, 2006, December, 2006 and March, 2007 and constituted 4 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2055'' पुलिस	Major Head "2055" Police				
मू.	O.	1325564.00			
पू.	S.	54753.00	1319917.49	1311232.53	–8684.96
पु.	R.	–60399.51			
मुख्य शीर्ष "3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	83501.00	92008.37	91869.91	–138.46
पु.	R.	8507.37			
मुख्य शीर्ष "3602'' संघ राज्य क्षेत्रा की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
पू.	S.	1.00	625.00	624.00	–1.00
पु.	R.	624.00			

(I) मुख्य शीर्ष "2055'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Supplementary grant obtained under Major Head "2055" remained wholly unutilised under the following heads:-

(का) ''सीमा सुरक्षा बल - सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय''- 335542.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 9513.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 345055.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 20887.68 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) वाहनों की अधिप्राप्ति, पी.वी. मोनोक्यूलर संबंधी प्रस्तावों को

(A) "Border Security Force – Directorate General of Border Security Force" – the original provision of Rs.335542.00 lakhs was augmented to Rs.345055.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.9513.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.20887.68 lakhs (including supplementary grant) - due to non-finalisation of proposals for procurement of

अंतिम रूप न दिए जाने और रक्षा लेखा नियंत्राक द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''दिल्ली पुलिस - राज्य मुख्यालय पुलिस'' - 46182.10 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1746.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 47928.10 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 3271.87 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, झड़ौदा कलां में नव निर्मित 3 भारत रिजर्व बटालियनों से संबंधित भर्ती किए गए कर्मचारियों के बुनियादी प्रशिक्षण के रूप में निधियों का अंतरण शीर्ष शिक्षा और प्रशिक्षण को किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''सशस्त्रा सीमा बल - स्थापना'' - 69754.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 5000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 74754.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 6660.76 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) भारी और मध्यम आकार के वाहनों के लिए पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय द्वारा मांग/दर संविदा को अंतिम रूप न दिए जाने, किफायती उपायों, नवनियुक्त कार्मिक के विलंब से कार्यग्रहण करने, रिक्त पदों के न भरे जाने, कंपनियों के अंतर्संयोजन को स्थगित किए जाने, रेल दावे प्राप्त न होने और भवन के मालिक द्वारा किराए के बिलों को प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष ''2055'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) ''केंद्रीय रिजर्व पुलिस - स्थापना'' - 315765.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 21028.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 336793.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, लैपटाप कंप्यूटरों, मशीनरी और उपस्करों, मोटर वाहनों की खरीद से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय द्वारा दर संविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 4994.54 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) ''असम राइफल्स - स्थापना और प्रशासन'' - 117609.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 9300.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 126909.00

vehicles, PV Monocular and non-utilisation of funds by the Controller of Defence Accounts.

(B) "Delhi Police – State Headquarters Police" - the original provision of Rs.46182.10 lakhs was augmented to Rs.47928.10 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1746.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.3271.87 lakhs (including supplementary grant) – due to transfer of funds to the head Education and Training as the basic training of the staff recruited for newly created 3 IR battalions was being imparted in Police Training College, Jharoda Kalan.

(C) "Sashastra Seema Bal – Establishment" - the original provision of Rs.69754.00 lakhs was augmented to Rs.74754.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.5000.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.6660.76 lakhs (including supplementary grant) - due to non-finalisation of indents/rate contract by the Directorate General of Supplies and Disposals for heavy and medium sized vehicles, economy measures, late joining of newly recruited personnel, non-filling up of vacant posts, postponement of inter-mixing of Coys, non-receipt of railway claims and non-preferring of rent bills by the owner of the building.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2055" remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) "Central Reserve Police – Establishment" - the original provision of Rs.315765.00 lakhs was augmented to Rs.336793.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.21028.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.4994.54 lakhs – due to non-finalisation of various proposals for purchase of Laptop Computers, machinery and equipments, motor vehicles and non-finalisation of rate contract by the Directorate General of Supplies and Disposals.

(B) "Assam Rifles – Establishment and Administration" - the original provision of Rs.117609.00 lakhs was augmented to Rs.126909.00 lakhs by obtaining supplementary

लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो आयुध और गोला-बारूद, रात में देखने के यंत्रा, मोटर वाहनों की अधिप्राप्ति को अंतिम रूप न दिए जाने और पूर्ति एवं निपटान महानिदेशलय द्वारा दर संविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 8463.74 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(गा) ''राष्ट्रीय सुरक्षा गारद - स्थापना'' - 13368.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1200.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 14568.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो मशीनरी और उपस्करों की खरीद से संबंधित प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, रेंजरों को सम्मिलित न किए जाने और विदेश यात्राओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 401.01 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(घा) ''औद्योगिक सुरक्षा बल - निदेशन और प्रशासन''- 114773.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 4790.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 119563.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और अर्जित अवकाश/अर्धवेतन अवकाश/परिवर्तित अवकाश की अवधि के दौरान राशन भत्ते की वसूली किए जाने के कारण 546.57 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष ''2055'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईं:-

(का) ''शिक्षा और प्रशिक्षण - राष्ट्रीय पुलिस अकादमी''- 210.35 लाख रु. की बचत (1773.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक आधार पर कुछ पाठ्यक्रमों को रद्द करने, मशीनरी और उपस्करों की खरीद से संबंधित प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता'' -

(क) ''केंद्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला'' - 494.36 लाख रु. की बचत (2185.00 लाख रु. स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, मशीनरी और उपस्करों की खरीद से संबंधित

grant of Rs.9300.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.8463.74 lakhs – due to non-finalisation of procurement of arms and ammunitions, night vision devices, motor vehicles and non-finalisation of rate contract by the Directorate General of Supplies and Disposals.

(C) “National Security Guard – Establishment” - the original provision of Rs.13368.00 lakhs was augmented to Rs.14568.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1200.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.401.01 lakhs – due to non-finalisation of proposals for purchase of machinery and equipments, non-inclusion of rangers and non-finalisation of foreign tours.

(D) “Industrial Security Force – Direction and Administration” - the original provision of Rs.114773.00 lakhs was augmented to Rs.119563.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.4790.00 lakhs which however, remained unutilised to the extent of Rs.546.57 lakhs - due to non-finalisation of proposals and recovery of ration money allowance during the period of earned leave/half pay leave/commuted leave.

(III) Under Major Head “2055” - savings also occurred under the following heads:-

(A) “Education and Training - National Police Academy” - saving of Rs.210.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1773.00 lakhs) was due to cancellation of certain courses on administrative ground, non-finalisation of proposals for purchase of machinery and equipments and non-utilisation of funds by the Central Public Works Department.

(B) “Criminal Investigation and Vigilance” -

(a) “Central Forensic Science Laboratory” - saving of Rs.494.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2185.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of proposals for purchase

प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और कम प्रतिपूर्ति दावे में प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) ''आपत्तिजनक दस्तावेजों का सरकारी परीक्षक'' - 173.23 लाख रु. की बचत (720.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(गा) ''विशेष पुलिस'' -

(क) ''अनुसंधान'' - 43101.06 लाख रु. की बचत (93100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्तीय वर्ष के दौरान कम आवश्यकता प्रक्षेपित किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''सीमा जांच चौकियां'' - 1224.45 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रतिपूर्ति दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(घा) ''पुलिस कार्मिकों का कल्याण - केंद्रीय पुलिस संगठन को कल्याण संबंधी अनुदान'' - 217.15 लाख रु. की बचत (4500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(ङ) ''बेतार और कंप्यूटर - राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो'' - 409.00 लाख रु. की बचत (1112.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(चा) ''दिल्ली पुलिस - सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ'' -151.44 लाख रु. की बचत (1.20 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 1168.64 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें मशीनरी और उपस्करों की खरीद से संबंधित प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत 177.64 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत और 19 प्रतिशत थीं।

of machinery and equipments and receipt of less claims for reimbursement.

(b) "Government Examiner of Questioned Documents" - saving of Rs.173.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.720.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(C) "Special Police" –

(a) "Research" - saving of Rs.43101.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.93100.00 lakhs) was due to less requirement projected during the financial year.

(b) "Border Check Posts" - saving of Rs.1224.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to receipt of less claims for reimbursement from the State Governments.

(D) "Welfare of Police Personnel – Welfare Grant to Central Police Organisations" - saving of Rs.217.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4500.00 lakhs) was due to non-approval of proposals by the Ministry of Home Affairs.

(E) "Wireless and Computers – National Crime Records Bureau" - saving of Rs.409.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1112.00 lakhs); and

(F) "Delhi Police – Road Safety Cell" - saving of Rs.151.44 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1168.64 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.20 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of proposals for purchase of machinery and equipments.

(IV) Under two heads savings of Rs.177.64 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituted 11 percent and 19 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपुर्यक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (4000.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2055'' -

(क) ''पुलिस बल का आधुनिकीकरण - आधुनिकीकरण के लिए दिल्ली पुलिस को सहायता'' - 1000.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 999.50 लाख रु. था।

(ख) ''अन्य भवन - बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों का आधुनिकीकरण'' -2376.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2375.50 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष "3602'' - ''योजनेतर अनुदान - पुलिस - पुलिस बल का आधुनिकीकरण - विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य पुलिस संगठनों का सुदृढ़ीकरण'' - 624.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 623.00 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2055'' -

(क) ''सीमा सुरक्षा बल - भारत-तिब्बत सीमा पुलिस''- 834.28 लाख रु. का अधिक व्यय (1412.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 61551.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तापन के लिए ईंधन, राशन भत्ते में वृद्धि होने और राज्य सरकारों से अधिक दावों की प्रतिपूर्ति किए जाने के कारण पिछले वर्ष की लंबित देयता का समाशोधन किए जाने, के कारण हुआ।

(ख) ''बेतार और कंप्यूटर - अंतर्राज्यीय पुलिस बेतार स्कीम'' - 174.94 लाख रु. का अधिक व्यय (3323.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संचार प्रणाली के लिए की गई अग्रिम अदायगी और दर संविदा के पिछले वर्ष के दावों की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

3.(I) The above savings were partly (Rs.4000.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2055" -

(a) "Modernisation of Police Force – Assistance to Delhi Police for Modernisation" - Rs.1000.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.999.50 lakhs.

(b) "Other Expenditure – Modernisation of Police Forces of the Union Territories without Legislature" – Rs.2376.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2375.50 lakhs.

(B) Major Head "3602" – "Non-Plan Grants – Police – Modernisation of Police Force-Strengthening of State Police Organisations in U.Ts with Legislature" – Rs.624.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.623.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads :-

(A) Major Head "2055" -

(a) "Border Security Force – Indo-Tibetan Border Police" - excess of Rs.834.28 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.61551.00 lakhs including supplementary grant of Rs.1412.00 lakhs) was due to clearing the pending liability of previous year on account of fuel for heating, hike in ration money allowance and reimbursement of more claims received from the State Governments.

(b) "Wireless and Computers – Inter State Police Wireless Scheme" - excess of Rs.174.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3323.00 lakhs) was due to advance payment made for communication system and to make the payment of last year's claims of the rate contract.

(ग) ''पुलिस बल का आधुनिकीकरण - वस्तु रूप में राज्य पुलिस संगठन को सहायता'' - 8435.82 लाख रु. का अधिक व्यय (45000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों से निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(घ) ''दिल्ली पुलिस'' -

(i) ''निदेशन और प्रशासन'' - 3612.79 लाख रु. का अधिक व्यय (30507.19 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बाहरी बलों के तैनाती प्रभारों की प्रतिपूर्ति के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रा, दिल्ली की सरकार से अधिक स्वीकृतियां प्राप्त होने के कारण हुआ।

(ii) ''शिक्षा और प्रशिक्षण'' - 2085.81 लाख रु. का अधिक व्यय (1625.02 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए भर्ती किए गए कर्मचारियों के बुनियादी प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(iii) ''आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता'' - 654.79 लाख रु. का अधिक व्यय (366.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 13896.85 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रेल प्राधिकारी से अधिक आवक दावों के प्राप्त होने, बिजली प्रभारों के अधिक बकाया बिलों के प्राप्त होने, चिकित्सा दावों और विशिष्ट व्यक्तियों/अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए प्रदान किए गए निजी वाहनों के भाड़ा प्रभारों से संबंधित अधिक बिलों के प्राप्त होने के कारण हुआ।

(iv) ''जिला पुलिस'' - 2513.70 लाख रु. का अधिक व्यय (351.80 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 40366.82 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिबद्ध देयताओं जैसे बिजली, पानी और दूरभाष के बिलों का समाशोधन किए जाने, अन्य इकाइयों से प्रशिक्षण/अंतरण पूरा करने के बाद नए रंगरूटों द्वारा कार्यग्रहण करने, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रा, दिल्ली की सरकार से अधिक स्वीकृतियां प्राप्त किए जाने और चिकित्सा प्रभारों के अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

(c) "Modernisation of Police Force – Assistance to State Police Organisation in Kind" - excess of Rs.8435.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.45000.00 lakhs) was due to additional requirement of funds from the State Governments for modernisation of Police forces.

(d) "Delhi Police" -

(i) "Direction and Administration" - excess of Rs.3612.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.30507.19 lakhs) was due to receipt of more sanctions from the Government of NCT of Delhi on account of reimbursement of deployment charges of outside forces.

(ii) "Education and Training" - excess of Rs.2085.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1625.02 lakhs) was due to requirement of additional funds for basic training of newly recruited staff.

(iii) "Criminal Investigation and Vigilance" - excess of Rs.654.79 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.13896.85 lakhs including supplementary grant of Rs.366.00 lakhs) was due to receipt of more inward claims from railway authority, receipt of more arrear bills of electricity charges, medical claims and receipt of more bills for hiring charges of private vehicles provided for the security of VIPs/VVIPs.

(iv) "District Police" - excess of Rs.2513.70 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.40366.82 lakhs including supplementary grant of Rs.351.80 lakhs) was due to clearing the committed liabilities like electricity, water and telephone bills, joining of newly recruits after completion of training/transfers from other units, receipt of more sanctions from Government of NCT of Delhi and receipt of more claims of medical charges.

(अ) ''अन्य व्यय'' -

(1) ''अन्य सरकारों/विभागों को प्रदत्त प्रभार'' -215.86 लाख रु. का अधिक व्यय (506.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तमिलनाडु की राज्य सरकार से प्रतिपूर्ति से संबंधित अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

(2) ''भारत-पाक सीमा निर्माण कार्य'' -575.05 लाख रु. का अधिक व्यय (4435.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा चालू परियोजनाओं पर अधिक व्यय किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601'' - ''योजनेतर अनुदान'' -

(क) ''पुलिस - पुलिस बल का आधुनिकीकरण - राज्य पुलिस संगठनों का सुदृढ़ीकरण'' -6575.00 लाख रु. का अधिक व्यय (45000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नक्सली और आंतकवाद से प्रभावित राज्यों के लिए राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) ''पुलिस - अन्य अनुदान'' -

(i) ''बटालियनों की तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति''- 139.76 लाख रु. का अधिक व्यय (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तमिलनाडु की राज्य सरकार से प्रतिपूर्ति के अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

(ii) ''राज्यों को विशेष सहायता'' -1654.15 लाख रु. का अधिक व्यय (36001.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों के सुरक्षा से संबंधित व्यय के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रतिपूर्ति के लंबित दावों का समाशोधन किए जाने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नानुसार हुईं:-

(v) "Other Expenditure" –

(1) "Charges paid to Other Governments/ Departments" - excess of Rs.215.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.506.00 lakhs) was due to receipt of more claims for reimbursement from the State Government of Tamil Nadu.

(2) "Indo-Pak Border Works" - excess of Rs.575.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4435.00 lakhs) was due to more expenditure on ongoing projects by the Central Public Works Department.

(B) Major Head "3601" - "Non-Plan Grants" –

(a) "Police - Modernisation of Police Force - Strengthening of State Police Organisations" - excess of Rs.6575.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.45000.00 lakhs) was due to additional requirement of funds by the State Governments for Modernisation of State Police for States affected from Naxalism and Militancy.

(b) "Police – Other Grants" –

(i) "Reimbursement to States for deployment of Battalions" - excess of Rs.139.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to receipt of more claims for reimbursement from the State Government of Tamil Nadu.

(ii) "Special Assistance to States" - excess of Rs.1654.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.36001.00 lakhs) was due to clearing the pending reimbursement claims received from the State Governments for security related expenditure of the Naxalism affected states.

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings occurred as under:-

(I) *30.00 लाख रु.* का *विनियोग* दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत *72.65 लाख रु.* की बचत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का 91 प्रतिशत थी।

(I) *Appropriation* of *Rs.30.00 lakhs* remained wholly unutilised under two heads.

(II) Under one head saving of *Rs.72.65 lakhs* occurred constituting 91 percent of the sanctioned *appropriation.*

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

5. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4055'' पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4055" Capital Outlay on Police				
मू.	O.	200338.00			
पू.	S.	2.00	189167.09	184667.72	–4499.37
पु.	R.	–11172.91			
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	3600.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–3600.00			

(I) 3920.00 लाख रु. का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत तीन मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4055'' -

(क) ''अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण - राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायिक विज्ञान संस्थान'' - 120.00 लाख रु. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण थे।

(ख) ''अन्य व्यय - भारत - म्यांमार सीमा निर्माण कार्य'' - 200.00 लाख रु. भारत-म्यांमार सीमा

(I) Provision of Rs.3920.00 lakhs remained wholly unutilised in three cases under the following major heads:-

(A) Major Head "4055" -

(a) "Research, Education and Training - National Institute of Criminology and Forensic Science" -Rs.120.00 lakhs - due to non-utilisation of funds by the Central Public Works Department.

(b) "Other Expenditure - Indo-Myanmar Border Works" - Rs.200.00 lakhs - due to

पर सीमा क्षेत्रा का रेखांकन न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''4552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाएं/स्कीमें'' - 3600.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''4055'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''केंद्रीय रिजर्व पुलिस - रिहायशी भवन'' -1627.91 लाख रु. की बचत (19700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा चालू निर्माण कार्यों के लिए निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) ''सीमा सुरक्षा बल - सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय''- 2924.79 लाख रु. की बचत (18518.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यकारी अभिकरणों द्वारा कार्य की धीमी प्रगति किए जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों की कम मांग किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''राष्ट्रीय सुरक्षा गारद - कार्यालय भवन'' -320.80 लाख रु. की बचत (1240.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों को अंतिम रूप न दिए जाने कारण हुई।

(घा) ''औद्योगिक सुरक्षा बल'' -

(क) ''कार्यालय भवन'' - 1053.01 लाख रु. की बचत (3700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोलकाता और गुवाहाटी में भूमि का अधिग्रहण किए जाने से संबंधित प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) ''रिहायशी भवन'' - 410.06 लाख रु. की बचत (1300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंडाली देवली, बरवाहा और अनंतपुर में रंगरूटों

non-alignment of the border area on Indo-Myanmar Border.

(B) Major Head "4552" – "Other Expenditure - Projects/Schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim" - Rs.3600.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "4055" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Reserve Police – Residential Buildings" – saving of Rs.1627.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.19700.00 lakhs) was due to less requirement of funds by the Central Public Works Department for ongoing construction work.

(B) "Border Security Force - Directorate General of Border Security Force" – saving of Rs.2924.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.18518.00 lakhs) was due to slow progress of work by the executing agency and less requirement of funds by the Central Public Works Department.

(C) "National Security Guard – Office Buildings" – saving of Rs.320.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1240.00 lakhs) was due to non-finalisation of works by the Central Public Works Department.

(D) "Industrial Security Force" –

(a) "Office Buildings" – saving of Rs.1053.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3700.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposal for acquisition of land at Kolkata and Guwahati.

(b) "Residential Buildings" - saving of Rs.410.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1300.00 lakhs) was due to

के प्रशिक्षण केंद्र के लिए अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ङ) ''दिल्ली पुलिस'' -

(क) ''कार्यालय भवन'' - 211.41 लाख रु. की बचत (0.50 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 5500.50 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''रिहायशी भवन'' - 3205.41 लाख रु. की बचत (5500.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुईं।

(चा) ''सशस्त्रा सीमा बल - सीमा चौकियाँ'' -1053.53 लाख रु. की बचत (4500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय की दर संविदा पर पूर्ति अभिकरण द्वारा सामग्री की पूर्ति किए जाने में विलंब होने की वजह से केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(छा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''भारत-बंगलादेश सीमा निर्माण कार्य'' -2231.37 लाख रु. की बचत (57097.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोलकाता और गुवाहाटी में भूमि का अधिग्रहण करने संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) ''भारत-पाक सीमा निर्माण कार्य'' - 6181.28 लाख रु. की बचत (25972.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधाान की तुलना में) जम्मू एवं कश्मीर सीमा पर कार्य को पुन: व्यवस्थित किए जाने और गुजरात क्षेत्रा में भारी वर्षा की वजह से केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

non-finalisation of proposal for construction of additional quarters for Recruits Training Centre at Mundali Deoli, Barwaha and Anantpur.

(E) "Delhi Police" -

(a) "Office Buildings" – saving of Rs.211.41 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.5500.50 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.50 lakh); and

(b) "Residential Buildings" - saving of Rs.3205.41(against the sanctioned provision of Rs.5500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to slow progress of work by the Central Public Works Department.

(F) "Sashastra Seema Bal – Border Out Posts" - saving of Rs.1053.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4500.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds by the Central Public Works Department owing to delay in supply of materials by the supplying agency on Directorate General of Supplies and Disposals Rate Contract.

(G) "Other Expenditure" -

(a) "Indo-Bangladesh Border Works" - saving of Rs.2231.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.57097.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for acquisition of land at Kolkata and Guwahati.

(b) "Indo-Pak Border Works" - saving of Rs.6181.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.25972.00 lakhs) was due to realignment of work on Jammu & Kashmir Border and slow progress of works by the Central Public Works Department owing to heavy rain in Gujarat sector.

(ग) ''अन्य सीमाओं का प्रबंधन'' - 11753.12 लाख रु. की बचत (13011.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पोत कारखाने से मोटर नावों की खरीद से संबंधित प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और परियोजना के लिए अपेक्षित उपस्कर की विलंब से सुपुर्दगी किए जाने के कारण हुई।

(घ) ''भारत-चीन सीमा'' - 910.00 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़क निर्माण के कार्य को शुरू न किए जाने के कारण हुई।

6.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (2497.89 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''4055'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अगस्त, 2006 और मार्च, 2007 प्रत्येक में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''सशस्त्रा सीमा बल - कार्यालय भवन'' -2239.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2238.95 लाख रु. था।

(खा) ''अन्य व्यय - तटीय सुरक्षा/उच्च प्रौद्योगिकी निगरानी'' - 258.89 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 81.85 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''4055'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''केंद्रीय रिजर्व पुलिस - कार्यालय भवन'' -990.16 लाख रु. का अधिक व्यय (13290.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थायी बटालियन के शिविर स्थल की स्थापना के लिए धीरथी और दाहौर(जम्मू) और चुमुकेडिमा (नागालैंड) में भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य राजस्व प्राधिकरण को अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(खा) ''असम राइफल्स'' -

(क) ''कार्यालय भवन'' - 2989.16 लाख रु. का अधिक व्यय (6000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(c) "Management of other Borders" - saving of Rs.11753.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13011.00 lakhs) was due to non-finalisation of the proposals for purchase of Motor Boats from Shipyard and late delivery of equipment required for the project.

(d) "Indo-China Border" -saving of Rs.910.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to non-commencement of work of construction of roads by Border Roads Organisation.

6.(I) The above savings were partly (Rs.2497.89 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh each in August, 2006 and March, 2007 under Major Head "4055" – under the following heads:-

(A) "Sashastra Seema Bal – Office Buildings" – Rs.2239.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2238.95 lakhs.

(B) "Other Expenditure – Coastal Security/High Tech Surveillance" – Rs.258.89 lakhs. Actual excess, however, was Rs.81.85 lakhs.

(II) Savings were partly offset by excess under Major Head "4055" - under the following heads:-

(A) "Central Reserve Police – Office Buildings" – excess of Rs.990.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13290.00 lakhs) was due to payment to State Revenue Authority for acquisition of land at Dheerthi and Dahore (Jammu) and Chumukedima (Nagaland) for establishment of permanent battalion camping sites.

(B) "Assam Rifles" -

(a) "Office Buildings" – excess of Rs.2989.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6000.00 lakhs);

(ख) ''रिहायशी भवन'' -7247.09 लाख रु. का अधिक व्यय (10480.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ग) ''सीमा चौकियाँ'' - 794.64 लाख रु. का अधिक व्यय (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(गा) ''सीमा सुरक्षा बल - भारत-तिब्बत सीमा पुलिस'' - 1399.16 लाख रु. का अधिक व्यय (7000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(घा) ''अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण - राष्ट्रीय पुलिस अकादमी'' - 170.34 लाख रु. का अधिक व्यय (350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भवन निर्माण सामग्री के मूल्य में वृद्धि होने और हैदराबाद में भूमि अधिग्रहण के एक मामले में माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किए जाने के कारण हुआ।

(ङ) ''सशस्त्रा सीमा बल - रिहायशी भवन'' -389.06 लाख रु. का अधिक व्यय (810.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दिल्ली विकास प्राधिकरण से तैयार निर्मित फ्लैटों की खरीद किए जाने के कारण हुआ।

(चा) ''अन्य व्यय - समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)''- 256.77 लाख रु. का अधिक व्यय (323.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गंगटोक आईएसपीडब्ल्यू केंद्र, दिसपुर और सिरी फोर्ट गांव में पोलनेट हब स्टेशन के रिहायशी भवन/कार्यालय भवन के निर्माण से संबंधित चालू परियोजना के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(b) “Residential Buildings” - excess of Rs.7247.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10480.00 lakhs);

(c) “Border Out Posts” - excess of Rs.794.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs); and

(C) “Border Security Force – Indo-Tibetan Border Police” - excess of Rs.1399.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7000.00 lakhs).

Excess under the above four heads was due to additional requirement of funds by the Central Public Works Department.

(D) “Research, Education and Training – National Police Academy” - excess of Rs.170.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.350.00 lakhs) was due to hike in price of building material and to comply the orders of Hon’ble High Court of Andhra Pradesh in a case of land acquisition at Hyderabad.

(E) “Sashastra Seema Bal - Residential Buildings” - excess of Rs.389.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.810.00 lakhs) was due to purchase of ready built flats from Delhi Development Authority.

(F) “Other Expenditure – Directorate of Co-ordination (Police Wireless)” - excess of Rs.256.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.323.00 lakhs) was due to additional requirement of funds by the Central Public Works Department for ongoing project of construction of residential building/office building at Gangtok ISPW Station, Dispur and POLNET HUB Station at Siri Fort Village.